

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम  
श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 145/2014

संस्थित दिनांक 20.02.2014

फा.नं.234503001902014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

विरुद्ध

- 1.राजा उर्फ सोहेल खान पिता रहमान खां, उम्र-19 वर्ष, जाति मुसलमान,  
निवासी ग्राम नंदोरा थाना लांजी जिला बालाघाट। (फौत)
- 2.जावेद हुसैन पिता महमूद हुसैन, उम्र-27 वर्ष,  
निवासी ग्राम घोटी थाना लांजी जिला बालाघाट।

.....अभियुक्तगण।

—:: निर्णय ::—::

दिनांक 04.07.2017 को घोषित:-

- 1— अभियुक्त जावेद हुसैन के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196 एवं 5/180 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-07.01.2014 को समय 12:30 बजे स्थान ग्राम कचनारी मंदिरटोला मेन रोड थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने स्वामित्व के वाहन क्रमांक एम.पी.50एम.एच.2101 को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति से चलवाया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चलवाया।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 07.01.2014 को आरोपी राजा उर्फ सोहेल खान द्वारा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.एच.2101 सुपर स्प्लेण्डर पर प्रार्थिया राधिकाबाई मरार को बैठालकर तेज गति व उतावलेपन से मोटर सायकिल को चलाकर घटनास्थल ग्राम कचनारी मंदिरटोला के पास रोड पर गिरा दिया, जिससे प्रार्थिया एवं स्वयं आरोपी को चोटें आई। उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी सदर के विरुद्ध अपराध धारा सदर का पाया गया। आरोपी के पास कोई भी वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति पत्र(लायसेंस) नहीं होना पाया गया। मोटर सायकिल वाहन मालिक जावेद खान मुसलमान द्वारा जानबूझकर आरोपी सदर को मोटर सायकिल चलाने दिया। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध थाना सदर का सिद्ध पाये जाने से गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मामले की विवेचना पूर्ण कर चालान नंबर 08/14 तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- 3— प्रकरण में अभियुक्त राजा उर्फ सोहेल खान की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रकरण का उपशमन कर दिया गया है तथा अन्य अभियुक्त जावेद हुसैन को मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196 तथा 5/180 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया।

अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक-07.01.2014 को समय 12:30 बजे स्थान ग्राम कचनारी मंदिरटोला मेन रोड थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने स्वामित्व के वाहन क्रमांक एम.पी.50एम.एच.2101 को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति से चलवाया ?

2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.एच.2101 को बिना बीमा कराये चलवाया ?

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 व 02 का निष्कर्ष :-**

5- साक्षी राधिकाबाई(अ0सा0-01) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। घटना करीब दो-तीन साल पूर्व दोपहर के समय ग्राम कचनारी की है। घटना के समय वह सड़क पर खड़े होकर उसकी लड़की के घर आमगांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक लड़का अपनी मोटर सायकिल पर आया और उससे साथ में चलने को कहा, जिसके बाद वह उसके साथ मोटर सायकिल के पीछे बैठ गई। कुछ देर बाद उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उन्हें चोटें आईं। घटना में उसे सिर और चेहरे पर चोट आई थी। घटना के समय वह बेहोश हो गई थी और उसे बिरसा अस्पताल में होश आया था। उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और ना ही पुलिस को घटनास्थल बताई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसकी शिकायत पर देहाती नालसी लिखी थी, जो प्र.पी.01 है, जिसपर उसका अंगुठा निशानी है। यह भी अस्वीकार किया है कि उसके बताये अनुसार पुलिस ने घटना का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसपर उसका अंगुठा निशानी है। यह भी अस्वीकार किया है कि मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.एच.2102 के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ग्राम कचनारी नहर पुलिया के पास कि0मी0 के पत्थर से टकराकर उसे रोड पर गिरा दिया था, जिससे उसे चोटें आई थी। साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था और ना ही पुलिस को मोटर सायकिल का नंबर बताया था।

6- साक्षी गुलचंद डोहरे(अ0सा0-02) ने कहा है कि वह दिनांक 07.01.2014 को चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ग्राम कचनारी मंदिर टोला में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त होने पर हमराह आरक्षक नम्बर 707 के साथ समय 13:38 बजे रवाना हुआ था। ग्राम कचनारी मंदिर टोला प्रार्थिया राधिकाबाई के बताये अनुसार आरोपी का वाहन क्रमांक एम.पी.50/एम.एच-2101 के चालक के

फा.नं.234503001902014

विरुद्ध धारा-279, 337 भा.दं०स० एवं धारा 184 मो.व्ही.एक्ट के अंतर्गत देहाती नालसी क्रमांक 0/13 प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर एवं प्रार्थिया की अंगूठा निशानी है। उक्त दिनांक को ही प्रार्थिया राधिकाबाई के बताये अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत राधिका बाई का मुलाहिजा फार्म फरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दमोह भेजा गया था। उक्त दिनांक को रोजनामचा सान्हा क्रमांक 206 थाना बिरसा समय 18:45 बजे वापसी दर्ज हमराह आरक्षक 1338 के द्वारा की गई थी। उक्त दिनांक को ही प्रार्थिया राधिकाबाई साक्षी दयाराम, जिराखन, दुखीराम के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से गवाह जिराखन पांचे, दुखीराम के समक्ष एक मोटरसाइकिल काले कलर की सुपर स्लेण्डर क्रमांक एम.पी. 50/एम.एच-2101 जप्त किया था, जो जप्ती पत्रक प्र.पी.04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 20.01.14 को जावेद हुसैन से गवाह सलीम खान, संजय के समक्ष एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर काले रंग की आर.सी.बुक गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जो जप्ती पत्रक प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर जावेद के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी राजा उर्फ सुहेल खान को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.06 है, तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7— साक्षी गुलचंद डोहरे(अ०सा०-02) ने कहा है कि उक्त दिनांक को ही साक्षी जावेद के बयान लेख किया था। उक्त दिनांक को ही जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण परीक्षणकर्ता शशि गिरी से करवाया था। उक्त दिनांक को ही वाहन मालिक जावेद हुसैन को धारा 133 मो.व्ही.एक्ट का नोटिस दिया गया था, जिसके पृष्ठ भाग पर ही उसने बताया था कि उक्त वाहन से राजा पिता रहमान खान ने कचनारी मंदिर टोला पर एक्सीडेंट किया है, जो प्र.पी.07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर वाहन मालिक जावेद के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारजनों को दी गई थी। विवेचना के दौरान वाहन चालक एवं वाहन मालिक के पास लाईसेंस एवं बीमा न होने से मो.व्ही एक्ट की धारा-3/181, 146/196 की धारा का ईजाफा किया गया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने देहाती नालसी प्र.पी. 01 प्रार्थिया के बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख की थी। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने सम्पूर्ण गवाहों के कथन एवं मौकानक्शा की कार्यवाही चौकी में ही बैठकर लेखबद्ध की थी। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही थाने में बैठकर लेख की गई थी। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि प्रार्थिया राधिकाबाई ने



पुलिस को कोई बयान नहीं दिया एवं मोटरसाइकिल का नम्बर नहीं बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि देहाती नालसी प्र.पी.01 में राधिकाबाई ने गाड़ी का नम्बर नहीं बताया था।

8— विवेचक साक्षी गुलचंद डोहरे(अ0सा0-02) के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी वाहन मालिक जावेद हुसैन द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति से वाहन चलवाया गया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चलवाया गया था, जिससे मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 एवं 5/180 का ईजाफा किया गया था। आरोपी जावेद हुसैन का कृत्य अपराध धारा-146/196 एवं 5/180 मो.व्ही.एक्ट में सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र क्र 08/14 तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि घटना की आहत परिवादी राधिकाबाई अ.सा.01 ने घटना के समय अभियुक्त राजा उर्फ सोहेल खान द्वारा वाहन चलाने के कथन नहीं किये हैं। तथापि विवेचक साक्षी गुलचंद डोहरे द्वारा अभियुक्त को धारा-133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस देना तथा अभियुक्त द्वारा पृष्ठ भाग पर जवाब देने के कथन किये हैं, जिस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। दुर्घटना के समय वाहन को वैध अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति तथा बीमा करवाकर चलवाने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त जावेद हुसैन पर था। परन्तु अभियुक्त जावेद हुसैन द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। विवेचक साक्षी की साक्ष्य से घटना के समय अभियुक्त राजा उर्फ सोहेल खान द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त जावेद हुसैन द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति तथा बिना बीमा के चलवाया गया। फलतः अभियुक्त जावेद हुसैन को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196, 5/180 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

9— अभियुक्त जावेद हुसैन के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर दर्शित नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

10— अतः अभियुक्त जावेद हुसैन को मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196 के अपराध के लिए कमशः 1000/—(एक हजार) तथा धारा-5/180 के अपराध के लिये 1,000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त जावेद हुसैन को अर्थदण्ड की राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

11— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

12— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा सुपर स्पलेण्डर जिसका रजिस्ट्रेशन एम.पी.50एम.एफ.2101 मय दस्तावेजों के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी

फा.नं.234503001902014

में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

14— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही/—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)